(माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार, जे)

माननीय न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार और अजय कुमार मित्तल, जे.जे. के समक्ष

श्रीमती, देविन्दर कौर - याचिककर्ता

बनाम

श्रीमती. रानी चड्ढा एवं अन्य, - प्रतिवादी

Civil Writ Petition No. 8914-CAT of 2004

7 अप्रैल 2007

भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 16(4 ए) और 226/227-"कैच अप सिद्धांत" कैट का मानना है कि कैच अप सिद्धांत प्रतिवादी नंबर 1 के लिए उपलब्ध होगा और पदोन्नति पर वह याचिकाकर्ता पर वरिष्ठता हासिल कर लेगी, जिसने अनुसूचित जाति से संबंधित रोस्टर बिंदु के खिलाफ पदोन्नति की थी। मूल आवेदक- प्रतिवादी नंबर 2 को सामान्य श्रेणी में सीधे भर्ती किया गया और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के रूप में पदोन्नत किया गया - अनुसूचित जाति के आरक्षित वर्ग से संबंधित याचिकाकर्ता को 8 साल बाद नियुक्त किया गया - याचिकाकर्ता को सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया - अस्थायी वरिष्ठता सूची दिखाई गई प्रतिवादी संख्या । वरिष्ठ सहायक- प्रतिनिधित्व के कैडर में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ है और बाद में कैट- आवेदन में चुनौती दी गई ग्रेडेशन सूची को "कैच अप सिद्धांत" लागू करके वरिष्ठता प्रदान करने की अनुमति दी गई।

माना गया कि ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए निर्देशों को गलत पढ़ा कि कैच अप सिद्धांत केवल 31 जनवरी को संशोधन द्वारा पेश किया गया था। 1997 और भारत संघ बनाम वीर पाल सिंह चौहान (जेटी) 1995(7) एससी 231 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निचले कैडर में अनुसूचित जाति के वरिष्ठों की पारस्परिक वरिष्ठता के संचालन में संभावित था। इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई है। याचिका स्वीकार कर ली गई और मामले को मुद्दों के निर्धारण के लिए ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया।

(पैरा 12 एवं 13)

याचिकाकर्ता के वकील, एच.एस. सेठी।

रीता कोहली, वकील, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से।

प्रतिवादी क्रमांक 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता, जयश्री ठाकुर।

माननीय न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार, जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर तत्काल याचिका में उठाया गया कानून का संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित कैच-अप सिद्धांत लागू होगा ताकि मूल आवेदक- प्रतिवादी नंबर 1, जो सामान्य श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार है, को लाभ हो सके। तत्काल याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षिप्तता के लिए) की चंडीगढ़ पीठ द्वारा दिए गए 26 मई, 2004 (पी-7) के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें कहा गया है कि कैच अप सिद्धांत मूल आवेदक- प्रतिवादी के लिए उपलब्ध होगा। नहीं, मैं और मुख्य वास्तुकार, शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय में सहायक के पद पर पदोन्नति पर, वह याचिकाकर्ता पर अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगी, जिसे मूल आवेदक से पहले अनुसूचित जाति से संबंधित रोस्टर बिंदु के विरुद्ध पदोन्नत किया गया था- प्रतिवादी संख्या 1। उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए, ट्रिब्यूनल ने 3 जुलाई, 1986 (आर-2) के निर्देशों पर भरोसा किया है और यह माना है कि मूल आवेदक- प्रतिवादी संख्या । जमीन पर अपनी वरिष्ठता हासिल करने की हकदार होगी। स्टेनो टाइपिस्ट के निचले कैडर में, वह याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थी। ट्रिब्यूनल का दृष्टिकोण फैसले के पैरा 6 और 7 से अलग है जो निम्नानुसार है-

"6. अब, 1990 में प्रतिवादी संख्या 6 की वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के प्रश्न पर आते हुए, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक 1974 में स्टेनो टाइपिस्ट के रूप में शामिल हुआ और उत्तरदाता संख्या 6 (श्रीमती देवेन्द्र कौर) 1983 में स्टेनो टाइपिस्ट के रूप में शामिल हुए। इस प्रकार आवेदक श्रीमती कौर से वरिष्ठ था। तथापि। चूंकि श्रीमती कौर एससी वर्ग से हैं, इसलिए उन्हें वरिष्ठ सहायक के पद के आरक्षण का लाभ देकर 1990 में वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था, जबकि आवेदक जो सामान्य श्रेणी की उम्मीदवार थी, उसे 1994 में अपनी बारी में पदोन्नत किया गया था। आवेदक के विद्वान वकील ने कहा कि 17 जून से पहले। 1995 निम्नलिखित निर्देशों ने सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की वरिष्ठता को नियंत्रित किया:

यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार को तत्काल उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है अपने वरिष्ठ सामान्य/ ओबीसी उम्मीदवार से पहले आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध पद/ ग्रेड, जिसे बाद में उक्त तत्काल उच्च पद/ ग्रेड पर पदोन्नत किया गया है, सामान्य/ ओबीसी उम्मीदवार तत्काल एससी और एसटी के ऐसे पहले से पदोन्नत उम्मीदवार पर अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा। उच्चतर स्थिति/ ग्रेड।

(माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार, जे)

(7) ये निर्देश वर्तमान मामले में बिल्कुल लागू हैं। हालाँकि, उपरोक्त स्थिति को बाद में संविधान में शामिल किए जाने की तारीख से ही संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) में संशोधन करके बदल दिया गया था। 16 जून, 1995 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता पुनः प्राप्त करने की अनुमति देने के उद्देश्य से। इस विषय पर जारी निर्देशों में, डीओपीएंडटी ने अपने आदेश दिनांक 21 जनवरी, 2002 (अनुलग्नक ए-8) के पैरा 41(1) (बी) में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि "उपरोक्त निर्णय 17 जून, 1995 से प्रभावी होगा।" ।" इन निर्देशों को चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 मार्च के अपने पत्र में भी दोहराया है। 1998 (अनुलग्नक ए-15)। चूंकि श्रीमती कौर को वर्ष 1990 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था और आवेदक को 1994 में पदोन्नत किया गया था, आई.सी. 17 जून, 1995 की महत्वपूर्ण तारीख से पहले, 1994 में प्रचलित सीमा निर्देश, जो सामान्य उम्मीदवार को पहले से पदोन्नत एससी/ एसटी उम्मीदवार पर अपनी वरिष्ठता हासिल करने की अनुमति देते थे, लागू होंगे।" (हमारे द्वारा इटैलिक)

(2) यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि ट्रिब्यूनल द्वारा व्यक्त पूर्वोक्त दृष्टिकोण के आधार पर, 4 अगस्त, 2003 (ए-1) के पत्र के माध्यम से प्रसारित वरिष्ठ सहायक की पदक्रम सूची को अलग रखा गया था और आधिकारिक उत्तरदाताओं को निर्देशित किया गया था। 17 जून, 1995 से पहले प्रचलित निर्देशों के अनुसार मूल आवेदक- प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के ऊपर वरिष्ठ सहायक के रूप में अधीक्षक के पद पर पदोन्नति देने सहित सभी परिणामी लाभों के साथ वरिष्ठता प्रदान करें, यदि वह नियमों के अनुसार अन्यथा पात्र है।

(3) विवाद को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कुछ तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। मूल आवेदक- प्रतिवादी संख्या । स्टेनो- टाइपिस्ट के पद पर सीधी भर्ती है और उसे 26 दिसंबर, 1974 को नियुक्त किया गया था। वह सामान्य श्रेणी से थी और 24 सितंबर को जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया। 1977. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जाति की आरक्षित श्रेणी से है, को 6 जनवरी, 1983 को स्टेनो टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। जो कि आठ साल से अधिक समय बाद हुआ है। जाहिर है कि वह स्टेनो- टाइपिस्ट के कैडर में मूल आवेदक से काफी जूनियर हैं। वरिष्ठ सहायक के कैडर में अनुसूचित जाति से संबंधित एक रोस्टर पॉइंट रिक्ति अक्टूबर में उपलब्ध हो गई। 1989 और आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी रिक्त पदों को 31 मार्च, 1990 तक भरना आवश्यक था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को 28 मार्च, 1990 को वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नति दी गई और वह 29 मार्च, 1990 को इस पद पर शामिल हुई। हालाँकि, 26 अप्रैल1990, को उनका पदोन्नति आदेश इस आधार पर वापस ले लिया गया कि उसने सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। उन्होंने ओ.ए. 1990 का नंबर 492- सी13 दायर करके अपने पदोन्नति आदेश को वापस लेने को चुनौती दी। अधिकरण ने, दिनांक 10 अप्रैल, 1997 के आदेश के

तहत, आधिकारिक उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को नया कारण बताओ नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता देते हुए, 28 मार्च, 1990 के आदेश को रद्द कर दिया। तथापि। आधिकारिक उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया। आदेश दिनांक 6 जून 1997 (पी-2) द्वारा 29 मार्च 1990 से इस शर्त के साथ कि उसे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित होने पर सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(4) आधिकारिक उत्तरदाताओं ने एक अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रसारित की जिसमें मूल आवेदक-प्रतिवादी नंबर 1 को वरिष्ठ सहायक के कैडर में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ दिखाया गया। इसके बाद, मूल आवेदक- प्रतिवादी नंबर 1 ने वरिष्ठता सूची में अपने स्थान के खिलाफ अभ्यावेदन दायर किया और आग्रह किया कि वह याचिकाकर्ता से वरिष्ठ होने के योग्य है। मूल आवेदक- प्रतिवादी नंबर । द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने एससी/ एसटी आयोग के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया था, जिसने चंडीगढ़ प्रशासन के सचिव को तलब किया था। 24 मार्च, 2003 को यूटी चंडीगढ़ और उपरोक्त दबाव के कारण, याचिकाकर्ता को 4 अगस्त, 2003 की ग्रेडेशन सूची में उससे वरिष्ठ दिखाया गया था। इसके बाद, मूल आवेदक- प्रतिवादी नंबर । ने ओ.ए. दायर करके ग्रेडेशन सूची को चुनौती दी। 2003 की संख्या 731- सीआई। उसके आवेदन को कथित निर्देश दिनांक 3 जुलाई, 1986 (आर-2) के आधार पर कैच- अप सिद्धांत को लागू करके याचिकाकर्ता से ऊपर उसकी वरिष्ठता प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है। गौरतलब है कि पदक्रम सूची में दर्शाई गई वरिष्ठता के आधार पर। याचिकाकर्ता को 25 अगस्त को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। 2003 (पी-6)।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एच. एस. सेठी ने जोरदार तर्क दिया कि 3 जुलाई, 1986 (आर-2) के निर्देशों में 'कैच- अप सिद्धांत' के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। विद्वान वकील के अनुसार 'कैच- अप सिद्धांत' को पहली बार 30 जनवरी, 1997 को यूनियन के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर 3 जुलाई, 1986 के निर्देशों में शामिल किया गया था। भारत बनाम वीरपाल सिंह चौहान (1) श्री सेठी ने कहा है कि एक बार 30 जनवरी, 1997 को 'कैच- अप सिद्धांत' अपना लिया गया, तो यह वरिष्ठ सहायक के पद पर याचिकाकर्ता के मुकाबले मूल आवेदक की पदोन्नति को नियंत्रित नहीं करेगा, जो कि किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा 1990 से प्रभावी रोस्टर पर, इसी तरह यह मूल आवेदक- प्रतिवादी नंबर । के लिए उपलब्ध नहीं होगा जो वर्ष 1994 में वरिष्ठ सहायक बन गया। श्री सेठी ने कहा है कि किसी भी मामले में, वीरपाल सिंह के मामले में निर्णय चौहान का मामला (सुप्रा) प्रकृति में संभावित है, यह याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1990 में पहले से अर्जित पदोन्नति पर लागू नहीं होगा, जबकि 1994 में मूल आवेदक- प्रतिवादी नंबर 1 की पदोन्नति हुई थी। उन्होंने पैरा 30 पर भरोसा किया है और 31 यह तर्क देने के लिए कि वीरपाल सिंह चौहान के मामले (सुप्रा) में निर्णय संभावित है और इसका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा। उपरोक्त पैरा में

(1) (1995) 6 SCC 684 = JT 1995 (7) SC 23 1

(माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार, जे)

निर्धारित 'कैच- अप सिद्धांत' के संचालन की तिथि 10 फरवरी, 1995 है, जो वर्ष 1990 में वरिष्ठ सहायक के पद पर याचिकाकर्ता की पदोन्नति और मूल आवेदक- प्रतिवादी न. 1 को वर्ष 1994 में बनाया था की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।

(6) विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि 30 जनवरी, 1997 (आर-4) के निर्देश 21 जनवरी, 2002 (पी-8) को 30 जनवरी, 1997 से इसकी स्थापना के साथ वापस ले लिए गए हैं। उनके अनुसार संविधान में संशोधन के मद्देनजर राज्य सरकार को आरक्षित वर्ग के सदस्य को त्वरित वरिष्ठता के साथ त्वरित रोस्टर प्वाइंट पदोन्नति देने का प्रावधान करने में सक्षम बनाने के लिए उपरोक्त कदम आवश्यक था। वीरपाल सिंह चौहान (सुप्रा) और अजीत सिंह जंजुआ बनाम पंजाब राज्य (2) के मामलों में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा वरिष्ठता से जुड़े पदोन्नति के इन दो घटकों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। उपरोक्त निर्णयों में यह व्यवस्था दी गयी है कि इससे पदोन्नति में तेजी आयेगी अनुसूचित जाति के सदस्यों को रोस्टर बिंदु पर दिए गए लाभ को त्वरित वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और निचले कैडर में सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ उम्मीदवार को पदोन्नत रोस्टर बिंदु पर अपनी वरिष्ठता फिर से हासिल करनी थी। इसलिए, तर्क यह उठाया गया है कि वीरपाल सिंह चौहान के मामले (सुप्रा) में फैसले से पहले कोई कैच- अप सिद्धांत तैयार नहीं किया गया था और इसलिए, वरिष्ठ सहायक के कैडर में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के बीच वरिष्ठता का अंतर था। सेवा की निरंतर अवधि के सामान्य सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया जाना है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अलग रखा जाना चाहिए और प्रतिवादी प्रशासन का विचार स्वीकार किया जाना चाहिए।

(7) सुश्री रीता कोहली, मूल आवेदक- प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान वकील। मैंने तर्क दिया है कि स्टेनो- टाइपिस्ट के कैडर में वरिष्ठता को बनाए रखा जाना है और सेवा की लंबी अवधि के कारण आवेदक- प्रतिवादी संख्या। मेरी नियुक्ति 26 दिसंबर को हुई है. 1974 याचिकाकर्ता को वरिष्ठ रैंक देने का हकदार है, जिसे 6 जनवरी, 1983 को स्टेनो- टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार मूल वरिष्ठता की रक्षा की जानी चाहिए और केवल इसलिए कि आवेदक- प्रतिवादी नंबर 1 को रोस्टर पर पदोन्नति दी गई है 1994 में वरिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति का मतलब यह नहीं होगा कि याचिकाकर्ता 6 जून, 1997 (पी-2) 29 मार्च, 1990 से प्रभावी के आदेश के आधार पर वास्तव में सहायक के पद पर काम किए बिना उससे आगे निकल सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना उन्हें किसी भी स्थिति में 29 मार्च, 1990 से पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, जबकि वह सहायक सिराडे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए

(2) (1999) 7 SCC 209

पात्र भी नहीं थीं।

(8) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मामले के रिकॉर्ड के साथ पेपर बुक का अवलोकन किया है। हम सबसे पहले जारी किए गए निर्देशों को निर्धारित करना आवश्यक समझते हैं।-

3 जुलाई, 1986 (आर-2), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी। कार्मिक मंत्रालय लोक शिकायतें और पेंशन, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जो इस प्रकार है:--

"विषय: वरिष्ठता- समेकन आदेश जारी।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस विभाग द्वारा समय- समय पर सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सिद्धांत निर्धारित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भ की सुविधा के लिए, इस कार्यालय ज्ञापन में इस विषय पर महत्वपूर्ण आदेशों को समेकित किया गया है। मूल संचार की संख्या और तारीख को मार्जिन में उद्धृत किया गया है ताकि उपयोगकर्ता इसे उस प्रतियोगिता को पूरी तरह से समझने के लिए देख सकें जिसमें प्रश्न में आदेश जारी किया गया था।

<u>सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता</u>

(MHΛ O.M. NO. 9/11/55- आरपीएस, दिनांक 22 दिसंबर, 1959)।

2.1 "सभी सीधी भर्ती की सापेक्ष वरिष्ठता योग्यता के क्रम से निर्धारित की जाती है जिसमें उन्हें यू.पी.एस.सी. या अन्य चयन प्राधिकारी की सिफारिशों पर ऐसी नियुक्ति के लिए चुना जाता है, पहले चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति उन लोगों से वरिष्ठ होते हैं जिन्हें नियुक्त किया जाता है बाद के चयन का परिणाम।

2.2 जहां पदोन्नति आईडी.पी.सी. द्वारा चयन के आधार पर की जाती है। ऐसे पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिसमें समिति द्वारा ऐसी पदोन्नति के लिए उनकी सिफारिश की जाती है। जहां पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन, उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता निचले ग्रेड में सापेक्ष वरिष्ठता के समान होगी जहां से उन्हें पदोन्नत किया गया है। हालाँकि, जहाँ किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अयोग्य माना जाता है और किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा उसका स्थान ले लिया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है और पदोन्नत किया जाता है, तो उन कनिष्ठ व्यक्तियों के ऊपर उच्च ग्रेड में वरिष्ठता नहीं दी जाएगी जिन्होंने उनका स्थान लिया था।

2.3 से 5 XXXX XXXXX XXXXX"

(9) उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय- समय पर केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता

(माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार, जे)

निर्धारित करने के सिद्धांतों को जारी करने वाले निर्देश वास्तव में थे , उक्त कार्यालय ज्ञापन में समेकित। जारी निर्देश में. ओ.एम. के माध्यम से क्रमांक 9/11/55- आरपीएस. दिनांक 22 दिसम्बर, 1959 अथवा दिनांक 3 जुलाई, 1986, कोई 'कैच- अप सिद्धांत' नहीं था क्योंकि यह संभवतः वीरपाल चौहान (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहली बार निर्धारित किया गया था। इसके बाद ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जनवरी, 1997 (आर-4) के माध्यम से फिर से निर्देश जारी किए। यह लाभदायक होगा की र्देशों को विस्तार से पढ़ें:

"विषय: पहले पदोन्नत हुए एससी/ एसटी अधिकारियों की वरिष्ठता, बाद में पदोन्नत हुए सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में। MIIΛ OM No में निहित सामान्य सिद्धांत 5(i) के अनुसार। 9/11/55- आरपीएस दिनांक 22 दिसंबर, 1959 और डीओपीटी ओएम संख्या 22011/7/86- स्था में पैरा 2.2। (डी), दिनांक 3 जुलाई। 1986 डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/5/90- स्था के साथ पढ़ा गया। (डी), दिनांक 4 नवंबर, 1992, (प्रतिलिपि संलग्न) नियम के अनुसार किसी पद पर नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता प्रारंभिक नियुक्ति के समय निर्दिष्ट योग्यता के क्रम से निर्धारित की जाएगी और विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता होगी ऐसी पदोन्नति के लिए चयन क्रम में निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, पहले चयन के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति बाद के चयन के माध्यम से पदोन्नत लोगों से वरिष्ठ होंगे।

2. सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर 1995 में भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान आदि (3) के मामले में अपना फैसला सुनाया और निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"भले ही एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को आरक्षण/ रोस्टर के आधार पर उसके वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार की तुलना में पहले पदोन्नत किया गया हो और वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को बाद में उक्त उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया हो, सामान्य उम्मीदवार को ऐसे पूर्व पदोन्नत पर अपनी वरिष्ठता वापस मिल जाती है अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की पहले पदोन्नति उसे सामान्य उम्मीदवार पर वरिष्ठता प्रदान नहीं करती है, भले ही सामान्य उम्मीदवार को उस श्रेणी में पदोन्नत किया गया हो"।

3. उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित तर्ज पर पदोन्नति पर वरिष्ठता तय करने की मौजूदा नीति को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, एमएचए (अब डीओपीटी) ओएम नंबर 9/11/55- आरपीएस, दिनांक 22 दिसंबर, 1959 और इस विभाग ओएम नंबर 22011/7/86- स्था. (डी), दिनांक 3 जुलाई, 1986 के पैरा 2.2 में निहित सामान्य सिद्धांत 5 (i) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ने का निर्णय लिया गया है:-

---

(3) JT 1995 (7) SC 231

"बशर्ते कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार को उसके वरिष्ठ सामान्य/ ओबीसी उम्मीदवार की तुलना में आरक्षित रिक्ति के खिलाफ तत्काल उच्च पद/ ग्रेड पर पदोन्नत किया जाता है, जिसे बाद में उक्त तत्काल उच्च पद/ ग्रेड पर पदोन्नत किया जाता है, तो सामान्य/ ओबीसी उम्मीदवार को तत्काल उच्च पद/ ग्रेड पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे पूर्व पदोन्नत उम्मीदवार से अधिक वरिष्ठता प्राप्त होगी।"

4. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।" (जोर दिया गया)।

(10) हालाँकि 21 जनवरी, 2002 (पी- बी) को निर्देश दिनांक 22 दिसंबर, 1959 और कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 जुलाई, 1986 में किया गया उक्त संशोधन संविधान (अस्सी) को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी, 1997 से ही वापस ले लिया गया था। पांचवां) संशोधन अधिनियम, 2001। जारी किए गए निर्देशों का प्रासंगिक भाग, कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 21 जनवरी, 2002 (पी-8) के माध्यम से इस प्रकार है:

"3. सरकार ने अब संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) में संशोधन करके 30 जनवरी, 1997 के डीओपीटी ओएम के प्रभावों को संविधान में शामिल करने की तारीख से रद्द करने का निर्णय लिया है। 17 जून, 1995 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता पुनः प्राप्त करने की अनुमति देने के उद्देश्य से। दूसरे शब्दों में, बाद में पदोन्नत किए गए सामान्य/ ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को पहले पदोन्नत किए गए एससी/ एसटी सरकारी कर्मचारियों से कनिष्ठ रखा जाएगा, भले ही आरक्षण के नियम के आधार पर।

4. इसलिए, उपरोक्त संविधान (पचासीवाँ) संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुसरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

(i) (ए) एससी/ एसटी सरकारी कर्मचारी आरक्षण/ रोस्टर के नियम के आधार पर अपनी पदोन्नति पर परिणामी वरिष्ठता के भी हकदार होंगे और

(बी) उपरोक्त निर्णय 17 जून 1995 से प्रभावी होगा।

(ii) डीओपीटी के ओएम संख्या 20011/1/96 स्था (डी), दिनांक 30 जनवरी, 1997 में निहित निर्देश और साथ ही डीओपीटी के ओएम संख्या 20011/2/97- स्था (डी), दिनांक 21 जनवरी, 1997 में निहित स्पष्टीकरण मार्च, 1997 30 जनवरी, 1997 से ही वापस ले लिया जायेगा।

(iii) दिनांक 30 जनवरी 1997 के ओएम के आलोक में निर्धारित सरकारी सेवकों की वरिष्ठता को इस तरह संशोधित किया जाएगा जैसे कि वह ओएम कभी जारी ही नहीं किया गया हो।

(माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार, जे)

(iv) (ए) संशोधित वरिष्ठता के आधार पर, संबंधित एससी/ एसटी सरकारी सेवकों को पदोन्नति, वेतन पेंशन आदि जैसे परिणामी लाभ की अनुमति दी जानी चाहिए (नो वर्क नो पाव के सिद्धांत को लागू करके बकाया के बिना)।

(बी) इस प्रयोजन के लिए, वरिष्ठ एससी/ एसटी सरकारी सेवकों को उनके निकटतम कनिष्ठ सामान्य/ ओबीसी सरकारी सेवकों की पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति दी जा सकती है।

(सी) एससी/ एसटी सरकारी सेवक की ऐसी पदोन्नति का आदेश उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से दिया जा सकता है जिस पर सरकारी सेवक को डीपीसी की सामान्य प्रक्रिया (यूपीएससी के साथ परामर्श सहित) का पालन करने के बाद कैश स्तर पर पदोन्नत किया जाना है।

(v) वरिष्ठता को छोड़कर अन्य परिणामी लाभ जैसे पदोन्नति वेतन आदि (उन लोगों के संबंध में पुन: परीक्षण लाभ सहित जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ओएम दिनांक 30 जनवरी, 1997 के कार्यान्वयन के आधार पर सामान्य/ ओबी सरकारी सेवक को अनुमति दी गई है) और/ या सीएटी/ न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में व्यक्तिगत के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।

5: xxx xxx xxxx"(जोर दिया गया)

(11) मामले का दूसरा पहलू यह है कि वीरपाल सिंह चौहान (सुप्रा) के मामले में कैच- अप सिद्धांत निर्धारित किया गया है और उस मामले में निर्णय 10 फरवरी, 1985 से प्रभावी किया गया है। पैरा 30 से और 31 उपरोक्त स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:

"30. यदि उपरोक्त नियमों का पालन किया जाए तो सामान्य अभ्यर्थियों की ओर से शिकायत की ज्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी। जबकि चीजों की योजना में, इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना संभव नहीं है, जैसा कि आर.के. सभरवाल [(1995) 2 एससीसी 745)] में मान्यता प्राप्त तथ्य है।, उपरोक्त नियम, संयुक्त रूप से संचालित, योग्यता और सामाजिक न्याय की मांगों के बीच संतुलन बनाए रखने में काफी मददगार साबित होने चाहिए।

31. सामान्य अभ्यर्थियों के विद्वान वकील श्री राजीव धवन ने बताया कि उनके अनुसार, यदि आरक्षण के नियम के आधार पर नियुक्त/ पदोन्नत अभ्यर्थी केवल आरक्षित पदों तक ही सीमित नहीं है, तो क्या असमान और विसंगतिपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होंगी और सामान्य पदों के लिए भी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में आरक्षित उम्मीदवार को एक और तीसरा लाभ मिलेगा। जब भी यह उसके लिए सुविधाजनक होगा, वह आरक्षित पद के लिए विचार किए जाने का दावा करेगा और जहां यह उसके लिए अधिक सुविधाजनक होगा, वह सामान्य पद के लिए विचार किए जाने का दावा करेगा, जबकि एक सामान्य उम्मीदवार केवल सामान्य पद तक ही सीमित है।

हमारी राय में। हालाँकि, विद्वान वकील की दलीलों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है: उसकी दलील विषय के स्थापित कानून के सामने है"।

(12) ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण को उपरोक्त तथ्यों और सिद्धांतों के आलोक में जांचने की आवश्यकता है, अर्थात्, 3 जुलाई 1986 के निर्देशों से कोई कैच- अप सिद्धांत स्पष्ट नहीं था। ट्रिब्यूनल ने कहा है स्पष्ट रूप से इस तथ्य को नजरअंदाज करके निर्देशों को गलत तरीके से पढ़ा गया कि "कैच- अप सिद्धांत केवल 31 जनवरी, 1997 को संशोधन द्वारा पेश किया गया था। इसलिए, ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में टिकाऊ नहीं है। हम इस विचार से आगे हैं कि माननीय का निर्णय 'वीरपाल सिंह चौहान के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट अपने संचालन में संभावित है। इसलिए, यह पदोन्नति और रोस्टर बिंदु पर अनुसूचित जाति के पदोन्नत व्यक्ति की वरिष्ठता के परस्पर निर्धारण से संबंधित प्रश्न को नियंत्रित नहीं करेगा। उसके समकक्ष सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार जो निचले कैडर में वरिष्ठ था। इसलिए, ट्रिब्यूनल का निर्णय रद्द किया जाने योग्य है।

(13) हालाँकि, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता को 29 मार्च 1990 की पूर्वव्यापी तिथि से 6 जून 1997 के आदेश के तहत वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति देना उचित है। तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को 28 मार्च 1990 को रोस्टर प्वाइंट पर वरिष्ठ पद पर पदोन्नत किया गया था। यह पदोन्नति एक महीने से भी कम समय में 26 अप्रैल, 1990 को इस आधार पर वापस ले ली गई कि वह योग्य नहीं थी क्योंकि उसने सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, जो पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता है। यदि ऐसा है तो वह 29 मार्च, 1990 से दोबारा सीसीएलईटी में कैसे पदोन्नत हो गईं? प्रश्न यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या याचिकाकर्ता जैसा उम्मीदवार सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा। इस आशय की कोई दलील नहीं है और इसलिए, पार्टियों को ट्रिब्यूनल के समक्ष वापस भेजना होगा।

(14) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, तत्काल याचिका सफल होती है। ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया गया है और मामले को पैरा 13 में उजागर किए गए मुद्दे के निर्धारण के लिए ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया गया है। पार्टियों को 6 जून, 1997 के आदेश की कानूनी वैधता से संबंधित प्रश्न पर अतिरिक्त दलीलें दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है। याचिकाकर्ता को 29 मार्च, 1990 से पदोन्नति देना, जबकि याचिकाकर्ता ने सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षित योग्यता हासिल नहीं की थी। पक्ष 25 अप्रैल, 2011 को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होंगे।

(15) याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित की जाती है।

एम. जैन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा